



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 640]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 18, 2012/अग्रहायण 27, 1934

No. 640]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 18, 2012/AGRAHAYANA 27, 1934

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 दिसम्बर, 2012

सा.का.नि. 901(अ).—केंद्रीय सरकार, पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 53) की धारा 96 की उपधारा (2) के खंड (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण नियम, 2003 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण (संशोधन) नियम, 2012 है।

(2) ये उनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. (क) पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण नियम, 2003 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) के नियम 22 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

(ख) चौथी अनुसूची के पश्चात् निम्नलिखित अनुसूची अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“22.क लागत के संबंध में आदेश.—प्राधिकरण या रजिस्ट्रार पांचवी अनुसूची के अधीन लागत के लिए यथा उपदर्शित और जैसा कि मामले की सभी परिस्थितियों पर ध्यान देते हुए वे उचित समझे, आदेश कर सकेगा।

22.ख प्रतिवाद न किए गए प्रतिरोध के मामलों में लागत.—आवेदक द्वारा नियमों के अधीन सम्यक्ता संस्थित प्रतिरोध का प्रतिवाद न किए जाने पर, रजिस्ट्रार या विनिश्चय करते समय कि क्या विरोधी को खर्चा अधिनिर्णीत किया जाना चाहिए, इस पर विचार करेगा कि यदि विरोधी द्वारा आवेदक को प्रतिरोध का नोटिस फाइल करने से पहले युक्तियुक्त सूचना दी गई होती तो कार्यवाहियों से बचा जा सकता था।

22.ग नियम 22ख का अपवाद.—नियम 22ख में किसी बात के होते हुए भी दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट फीसों के संबंध में और कार्यवाहियों में उपयोग की गई और शपथ पत्रों में चप्सा की गई स्टैप उस मामले के अनुसार होगी।”

“पांचवी अनुसूची

प्राधिकरण या रजिस्ट्रार के समक्ष कार्यवाहियों के संबंध में धारा 11(ख) के अधीन अनुज्ञेय लागत का स्केल

क्रम सं.	वह मामला जिसके संबंध में खर्चा अधिनिर्णीत किया जाना है	रकम
1.	एक दिन की सुनवाई जिसमें साक्षियों का परीक्षण अंतर्वर्तित है।	1500 रुपये
2.	एक दिन की सुनवाई जिसमें साक्षियों का परीक्षण नहीं किया जाना है।	750 रुपये
3.	किसी पक्षकार की याचिका पर सुनवाई स्थगित किए जाने के लिए	2000 रुपये धन अन्य पक्षकारों के साक्षियों जिनकी उस दिन जांच की जानी थी, को पुनःआरंभ करने की वास्तविक लागत।
4.	किसी शपथ-पत्र से कलंकाल्पक सामग्री हटाने के लिए	500 रुपये
5.	निम्नलिखित के लिए — (क) साक्षियों की उपस्थिति (ख) निर्वाह भत्ता (ग) यात्रा भत्ता	1000 रुपये (नीचे दिए गए टिप्पण के अनुसार) प्रथम श्रेणी के लिए रेल या वायुयान या स्टीमर द्वारा किराया या दोनों और से द्वितीय श्रेणी और यदि रेल या स्टीमर परिवहन नहीं है तो साक्षियों के रैंक और प्रास्थिति के आधार पर 15 रुपये या 10 रुपये प्रति कि.मी. : परंतु यह कि साक्षियों का निर्वाह भत्ता और यात्रा भत्ते में अधिकतम विहित की सीमा के अधीन रहते हुए साक्षियों की प्रास्थिति के अनुसार परिवर्तन होगा।”।

[फा. सं. 1-14/2012-एस.डी. V]

डा. अतनु पुरकायस्थ, संयुक्त सचिव

टिप्पण :— मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 738 (अ) तारीख 12 सितंबर, 2003 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् सा.का.नि. 843(अ) तारीख 30 दिसंबर, 2004, सा.का.नि. 731(अ) तारीख 14 अक्टूबर, 2008, सा.का.नि. 319 (अ) तारीख 11 मई, 2009, सा.का.नि. 783(अ) तारीख 27 अक्टूबर, 2009, सा.का.नि. 901(अ) तारीख 17 दिसंबर, 2009 और सा.का.नि. 949(अ) तारीख 3 दिसंबर, 2010 द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture and Co-operation)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th December, 2012

G.S.R. 901(E).—In exercise of the powers conferred by clause (viii) of sub-section (2) of Section 96 of the Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Act, 2001 (53 of 2001), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Rules, 2003 namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights (Amendment) Rules, 2012.

(2) They shall come into force on the date of their publication in Official Gazette.

2. (a) after rules 22 in the Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Rules, 2003 (hereinafter referred to as the principal rules), following rules shall be inserted, namely:—

(b) after Fourth Schedule, the following Schedule shall be inserted, namely:—

“ 22A. Orders as to costs.— The Authority or the Registrar may make such orders as to costs as enumerated under the Fifth Schedule and as considered reasonable having regard to all the circumstances of the case :

Provided that the Authority or Registrar may, in its or his discretion award compensatory costs in any proceeding before it, which in its or his opinion is false or vexatious.

22B Costs in uncontested opposition cases.— Where any opposition duly instituted under the rules is not contested by the applicant, the Registrar in deciding whether costs should be awarded to the opponent shall consider whether the proceeding might have been avoided if reasonable notice had been given by the opponent to the applicant before the notice of opposition was filed.

22C Exception to rule 22B.—Notwithstanding anything in rule 22B, costs in respect of fees specified in Second Schedule and of all stamps used on and affixed to affidavits used in the proceedings shall follow the event.”

“THE FIFTH SCHEDULE

Scale of costs allowable under section 11(b) in respect of proceedings before the Authority or the Registrar.

Sl.No.	Matters in respect of which costs to be awarded	Amount
1.	For one day's hearing involving examination of witnesses	Rs. 1500
2.	For one day's hearing when there is no examination of witnesses.	Rs. 750
3.	For adjournment of hearing granted on the Petition of any party.	Rs. 2000 plus actual cost for petition for resummoning the other parties' witnesses who were due to be examined on the day.
4.	For striking out scandalous matter from an affidavit	Rs. 500
5.	For (a) attendance of witnesses (b) Subsistence allowance (c) Travelling allowance	Rs. 1000 (vide note below) The fare by rail or air or steamer for the first class or the second class each way and if there is no rail or steamer communication Rs. 15 or Rs. 10 per km. depending upon the rank and status of the witness: Provided that the rates of subsistence allowance and travelling allowance for witness shall vary according to the status of the witness subject to the maximum prescribed”.

[F.No. 1-14/2012-SD-V]

Dr. ATANU PURKAYASTHA, Jt. Secy.

Note:— The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) by G. S.R. 738 (E), dated the 12th September, 2003 and subsequently amended by G. S.R. 843 (E), dated the 30th December, 2004, G. S.R. 731 (E), dated the 14th October, 2008, G. S.R. 319 (E), dated the 11th May, 2009, G. S.R. 783 (E), dated the 27th October, 2009, G. S.R. 901 (E), dated the 17th December, 2009 and G. S.R. 949 (E), dated the 3rd December, 2010.